उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1979 ई0)

THE UTTAR PRADESH JUNIOR HIGH SCHOOLS (PAYMENT OF SALARIES OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES) ACT, 1978

(U.P. Act No. 6 of 1979)

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1979 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 2000

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 2018

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 अगस्त, 1978 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 नवम्बर, 1978 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 12 जनवरी, 1979 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1979 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना[2] द्वारा इस निमित्त नियत करें ।

परिभाषाएं

2– इस अधिनियम में,–

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है ;

(ख) "शिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन नियुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और किसी बालिका संस्था की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) से है, और प्रत्येक स्थिति में इसमें इस अधिनियम के अधीन शिक्षा अधिकारी के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(ग) किसी संस्था के "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी शिक्षणेतर कर्मचारी से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता है ;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 16 मई, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।
2. अधिसूचना सं0 1645/पन्द्रह–6–79–28 (107) – 77 द्वारा यह अधिनियम दिनांक 1 मई, 1979 से प्रवृत्त किया गया ।

(घ) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षका से है, और प्रत्येक स्थिति में इसमें इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(ङ) "संस्था" का तात्पर्य ऐसे मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल से है जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है ;

[1][(ङङ) "जूनियर हाईस्कूल" का तात्पर्य हाईस्कूल या इण्टरमीडियट कालेज से भिन्न ऐसी संस्था से है, जिसमें छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक लड़कों या लड़कियों या दोनो को शिक्षा दी जाती है ।]

(च) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे सहायक अनुदान से है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के लिए समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे ;

(छ) किसी संस्था के सम्बन्ध में, "प्रबन्धतन्त्र" का तात्पर्य उस संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिए प्रभारित प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन निहित हो ;

(ज) किसी संस्था के "अध्यापक" का तात्पर्य प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता है ;

(झ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दर पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिसमें मंहगाई भत्ता और कोई अन्य भत्ता भी सम्मिलित है ;

(ञ) अन्य शब्दों और पदों के, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनिमय, 1972 में परिभाषित है और यहां पर परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए दिये गये है ।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

3–(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी नियत दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का वेतन उस मास के जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हों, ठीक पश्चात्वर्ती मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व के ऐसे दिन की जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष, आदेश द्वारा नियत करें,समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा ।

(2) वेतन का भुगतान उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी प्रकार को कटौतियां सिवाय उनके जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो किये बिना, किया जायेगा ।

(3) जहाँ किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का भुगतान, प्रबन्धतन्त्र की ओर से किसी चूक के कारण उपधारा (1) के अनुसार नहीं किया जाता है, वहाँ निरीक्षक, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस

1– उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 2018 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

उपधारा में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के भीतर ऐसे वेतन का भुगतान, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम आहरित वेतन की दर पर, और नई नियुक्ति की स्थिति में उस वेतन–मान की जिस पर वह नियुक्त किया गया हो, न्यूनतम दर पर, धारा 5 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेखे में जमा धन से करेगा या करायेगा और ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में कोई समायोजन तत्पश्चात् यथाशीघ्र किया जायगा ।

निरीक्षण करने की शक्ति

4–(1) शिक्षा अधिकारी, किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध मे उसके प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसमें रजिस्टरों, लेखा बही और वाउचर भी सम्मिलित है) मांग सकता है या उसके प्रबन्धतन्त्र को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसमें अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने का कोई निदेश भी है), दे सकता है जिसे वह उचित समझे ।

(2) जहाँ किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने के लिये उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश दिया जाय, वहाँ उसका अनुपालन यथासम्भव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या, यथास्थिति ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायगा ।

कतिपय संस्थानों की स्थिति में वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया

5–(1) प्रत्येक संस्था का प्रबन्धतन्त्र अपने अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक में एक पृथक् लेखा खोलेगा जो प्रबन्धतंत्र के किसी प्रतिनिधि और शिक्षा अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे शिक्षा अधिकारी इस निमित्त प्राधिकृत करें, संयुक्त रूप में परिचालित किया जायगा :

परन्तु लेखा खुल जाने के पश्चात् शिक्षा अधिकारी, यदि उसका इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए यह समाधान हो जाये कि लोक–हित में ऐसा करना समीचीन है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे का परिचालन केवल प्रबन्धतंत्र के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है :

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के परन्तुक में निर्दिष्ट स्थिति में या जहाँ वेतन के वितरण में प्रबन्धतंत्र की किसी चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो वहाँ शिक्षा अधिकारी बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे का परिचालन केवल उसके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करें, किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है ।

(2) प्रबन्धतन्त्र उक्त लेखे में ऐसे दिनाँक तक, जिसे शिक्षा अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त ऐसी धनराशि का जो राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार और जब तक ऐसा आदेश नहीं होता तब तक निरीक्षक के निदेश के अनुसार अनुरक्षण निधि का भाग होती है, पच्चासी प्रतिशत या जहाँ राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी वितरण किये जाने के लिये अपेक्षित धनराशि को ध्यान में रखते हुए किसी

उच्चतर प्रतिशत का निदेश दे, वहाँ ऐसा उच्चतर प्रतिशत जैसा वह निदेश दे, जमा करेगा :

परन्तु जहाँ फीस का उक्त प्रतिशत उपर्युक्त प्रकार से जमा न किया जाय, वहां शिक्षा अधिकारी आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है और तदुपरान्त शिक्षा अधिकारी फीस को (या तो सस्था के अध्यापकों के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जैसी वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को उक्त लेखे में जमा करेगा ।

(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता और अन्य तत्सदृश रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान की पच्चासी प्रतिशत या ऐसी उच्चतर प्रतिशत जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें, धनराशि का भी राज्य सरकार द्वारा उक्त लेखे में भुगतान किया जायगा ।

(4) उक्त लेखा में जमा किए गए धन का प्रयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा, अर्थात् : ––

(क) नियत दिनांक के पश्चात् किसी अविध के लिए देय होने वाले वेतन का भुगतान ;

(ख) अध्यापकों और कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में संस्था का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करना और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के उस अवधि के, जिसके लिए छात्रों से फीस वसूल की जा चुकी हो, वेतन को भुगतान सम्बन्धी दायित्व को पूरा करने के पश्चात् लेखे में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश, जो उनके एक मास के वेतन के कुल योग से अधिक हो, प्रबन्धतंत्र को संस्था पर व्यय करने के लिए दे दिया जायगा ;

(ग) संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जैसा राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय ;

(5) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखा से उसी बैंक में उसके लेखा में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके या यदि उसका उस बैंक में कोई लेखा न हो तो चेक द्वारा किया जायगा ।

(6) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहाँ कोई अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक न हो, वहाँ इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कार के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और उस स्थिति में इस धारा में बैंक के लिए निर्देश किसी डाकघर बचत बैंक के प्रति निर्देश समझे जायेंगे ।

(7) प्रबन्धतंत्र निदेशक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक विवरणी आगामी 30 जून तक ऐसे निदर्श में, जैसा निदेशक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेंगा ।

उपबन्धों और निर्देशों का प्रवर्तन

6–(1) जहाँ शिक्षा अधिकारी का किसी संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि प्रबन्धतंत्र ने धारा 4 के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में

चूक की है, वहाँ वह निरीक्षक के माध्यम से सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक को वह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरूद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर, सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक प्रबन्धतन्त्र से उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने को या एक सप्ताह के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि क्यों न प्रबन्धतन्त्र का अतिक्रमण कर दिया जाय।

(3) जहाँ प्रबन्धतन्त्र उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बतायें, या सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, वहाँ वह आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र का एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिए संस्था का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है :

परन्तु सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक जहाँ वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे ––

(एक) समय–समय पर उक्त अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि कुल मिला कर पाँच वर्ष से अधिक न हो; या

(दो) किसी भी समय उक्त आदेश को विखण्डित कर सकता है :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (दो) में किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के सम्बन्ध में कोई रूकावट न होगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबंधतन्त्र को अपवर्जित करके और केवल सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक, निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए प्रबन्धतंत्र की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिसमें संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी सम्मिलित है, और विशेष रूप से, धारा 5 में निर्दिष्ट बैंक लेखे का परिचालन अकेले करेगा;

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जायेगा कि इसे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसे सम्पत्ति का (सामान्य प्रबंध क्रम में मास प्रति मास किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) भारित करने की शक्ति प्राप्त होती है ।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित या संस्था की या उससे निहित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियममिति या लिखित में दी गयी उसमें असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा ।

अपील

7– धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन प्रबन्धतन्त्र का अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक के आदेश के विरूद्ध अपील प्रबन्धतन्त्र को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर निदेशक को की जा सकती है, और या तो

निदेशक स्वयं या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से निदेशक द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, ऐसी अग्रतर जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, या तो आदेश को अपास्त कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का प्रवर्तन ऐसे निबन्धनों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

अभिलेख मांगने की राज्य सरकार की शक्ति

8–राज्य सरकार धारा 7 के अधीन निदेशक द्वारा विनिश्चित किसी अपील के अभिलेख को निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए माँग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है ओर वह उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु किसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नही दिया जायगा जब तक कि प्रबन्धतन्त्र को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय ।

पदों का अनुमोदन

9–(1) कोई संस्था अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नये पद का सृजन, निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे निदेशक द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो, पूर्वानुमोदन के बिना नहीं करेगी ।

(2) यदि उपधारा (1) मे ंनिर्दिष्ट पूर्वानुमोदन से कोई नया पद सृजित किया जाय, और तीन मास के भीतर ऐसे पद पर नियुक्ति न की जाय तो यह समझा जायेगा कि अनुमोदन वापस ले लिया गया है ।

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व

10–(1) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो नियत दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो ।

(2) राज्य सरकार किसी ऐसी धनराशि को जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, उस संस्था को या उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि संस्था द्वारा देय भू–राजस्व की कोई बकाया हो ।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किसी ऐसे देय के लिए संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायगा ।

दण्ड, शास्ति और प्रक्रिया

11–(1) यदि धारा 4 के अधीन किसी निदेश का या धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो चूक किये जाने के समय प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य–संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह न सिद्ध कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी या उसने ऐसी चूक को रोकने के लिए सभी सम्यक् सावधानी बरती थी, धारा 3 के उपबन्धो के अनुपालन में चूक करने की स्थिति में, जुर्मानों से, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और किसी अन्य चूक की स्थिति मे कारावास से, जो छः मास तक का हो सकता है या जुर्माना से, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस

धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप–अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा और न वारंट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा ।

(4) कोई न्यायालय जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नही करेगा ।

न्यायालय की अधिकारिता पर रोक

12–इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक, शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नही की जायगी ।

कतिपय संस्थाओं के संबंध में छूट

13–इस अधिनियम की कोई बात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् रेलवे प्रशासन, छावनी बोर्ड या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी ।

[1][कतिपय क्रमोन्नति संस्थानों के सम्बन्ध में संक्रमणकालीन उपबन्ध]

[1]**[13–क–** (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध किसी ऐसी संस्था पर जिसकी क्रमोन्नित हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट स्तर तक कि जाये और उसके अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों पर जिनके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा ऐसी संस्था को दिया जाता है, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कही, धारा 5 में छात्रों के प्रति निर्देश आये हों, उसका यह अर्थ लगाया जायगा कि वह केवल जूनियर हाई स्कूल के स्तर तक की कक्षाओं के छात्रों के प्रति निर्देश है ।]

सद्भावना से किये गये कार्यो के लिये संरक्षण

14–इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक, शिक्षा अधिकारी, प्राधिकृत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जायगी ।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

15–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में या इस अधिनियम मे किसी बात के होने के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध, जिसमें इस अधिनियम के या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 या इनके अधीन बनाये गये नियमो के किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी सम्मिलित है, किंन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नियत दिनाँक से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा ।

1– उ0 प्र0 अधिनियम सं0 34, 2000 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

प्रत्यायोजन

16–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति का प्रत्यायोजन निदेशक को कर सकती है ।

नियम बनाने की शक्ति

17–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।